संख्या-117/2021/683/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 27 जुलाई, 2021

विषय - वित्तीय वर्ष 2021-22 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-57/83 मद में सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन ।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1795/नाबार्ड योजना (चालू कार्य/आवंटन)/2021-22, दिनांक 13.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत 10 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न जनपदों के कुल 10 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त 10 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु **सारिणी के स्तम्भ-13 के अनुसार** रू0 25,81,32,000/-(रूपये पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख बत्तीस हजार मात्र) (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 20.3383 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 5.4749 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।
3- उक्त 10 सेतुओं के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथकपृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के **अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत** लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 101-पुल, 34-नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था, 00, 24-वृहत् निर्माण कार्य**एवं अनुदान सं0-83 के**

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, 16-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य), 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयगराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-117/2021/683/23-9-2021-14नाबार्ड (सेतु)/2020टीसी, दिनांक 27 जुलाई 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दि0	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लो0 नि0 वि0 अंश	अनुबन्ध गठन से हुई बचत	अब तक आवंटन (सेतु निगम/ लो0नि0 वि0)	दि0 01.04. 2021 का अवशेष (सेतु निगम /लो0नि0वि0)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
										अनु-057	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जालौन	जनपद जालौन में बिलरायां.पनवाड़ी 4 लेन (राज्य मार्ग सं0-21) के किमी0-375 में गोहानी नाला पर लघु सेतु (5X9 मी0) पंहुच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	12/2019/193/23-9-2019-24 नाबार्ड /(सेतु)2018 दि0 01.03.2019	620.71	0.00	620.71	22.34	81.04	517.33	157.58	42.42	200.00
2	हरदोई	जनपद हरदोई में बाबरपुर से ललुआपुर मार्ग के किमी0-1 में गरई नदी पर 5x6 मी0 स्पान का लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण	35/2020/106/23-9-2020-11 नाबार्ड /(सेतु)2019 दि0 24.02.2020	242.87	0.00	242.87	0.00	154.15	88.72	55.93	15.05	70.98
3	रायबरेली	जनपद रायबरेली में सलारपुर व दाउदपुर के मध्य सई नदी पर घनश्यामदास मन्दिर के पास 5x10.0 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य	35/2020/106/23-9-2020-11 नाबार्ड /(सेतु)2019 दि0 24.02.2020	410.55	0.00	410.55	0.00	34.83	375.72	118.18	31.82	150.00
4	बलिया	जनपद बलिया में कठौरा नाले पर 2x5 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य।	35/2020/106/23-9-2020-11 नाबार्ड /(सेतु)2019 दि0 24.02.2020	90.26	0.00	90.26	0.87	54.15	35.24	24.99	6.73	31.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दि0	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लो0 नि0 वि0 अंश	अनुबन्ध गठन से हुई बचत	अब तक आवंटन (सेतु निगम/ लो0नि0 वि0)	दि0 01.04. 2021 का अवशेष (सेतु निगम /लो0नि0वि0)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
										अनु-057	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	बलिया	जनपद बलिया में उरदैना से गोपालपुर के बीच नाले पर 2x5 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य।	35/2020/106/23-9-2020-11 नाबार्ड /(सेतु)2019 दि0 24.02.2020	86.85	0.00	86.85	0.85	52.11	33.89	21.36	5.75	27.11
6	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में कलवलिया-टेरा मार्ग पर बाल्मीकी नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु /(2020 दि0 27.03.2020	646.33	646.33	0.00	0.00	173.95	472.38	203.70	54.83	258.53
7	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में मकरी पहरा-रेहुटा पर मन्दाकिनी नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु /(2020 दि0 27.03.2020	1371.83	1371.83	0.00	0.00	319.21	1052.62	270.22	72.74	342.96
8	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में ऊँचाडीह-रानीपुर कल्याणगढ़ सम्पर्क मार्ग पर बरदहा नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु /(2020 दि0 27.03.2020	812.75	812.75	0.00	0.00	168.74	644.01	256.15	68.95	325.10
9	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में सखौंहा-चकोर मुस्तकिल मार्ग पर सखौंहा नाला पर सेतु पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु /(2020 दि0 27.03.2020	726.00	726.00	0.00	0.00	145.39	580.61	228.81	61.59	290.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दि0	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लो0 नि0 वि0 अंश	अनुबन्ध गठन से हुई बचत	अब तक आवंटन (सेतु निगम/ लो0नि0 वि0)	दि0 01.04. 2021 का अवशेष (सेतु निगम /लो0नि0वि0)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
										अनु-057	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	आगरा	जनपद आगरा में रूनकता बलदेव मार्ग के मध्य रेणुका धाम के निकट यमुना नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	100/2020/635/23-9-2020-07 नाबार्ड /(सेतु)2017 दि0 31.08.2020	3538.09	3538.09	0.00	0.00	1153.80	2384.29	696.91	187.61	884.52
कुल योग-				**8546.24**	**7095.00**	**1451.24**	**24.06**	**2337.37**	**6184.81**	**2033.83**	**547.49**	**2581.32**

(अवमुक्त धनराशि रू0 पच्चीस करोड़ इक्यासी लाख बत्तीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।